

**न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल**

दांडिक प्रकरण क :- 194 / 12

संस्थापन दिनांक :- 21 / 04 / 12

फाईलिंग नं. 233504000122012

मध्यप्रदेश राज्य
द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रु द्ध

जन्मजय पिता रामजी पाटनकर, उम्र 30 वर्ष
निवासी गोविंद कॉलोनी आमला,
थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

-(नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 09.11.2017 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध आयुध अधिनियम, 1959 की धारा-25 (1-बी) (बी) के अंतर्गत इस आशय का आरोप है कि उसने दिनांक 21.04.2012 को समय 10:40 बजे बस स्टैंड आमला लकी होटल के सामने सार्वजनिक स्थान पर बिना किसी मय अनुज्ञापत्र के अधिसूचना क्र. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 में विनिर्दिष्ट मापदंड से अधिक लंबाई चौड़ाई की धारदार लोहे की छुरी अपने ज्ञानयुक्त आधिपत्य में अवैध रूप से रखा।

2 अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 21.04.2012 को थाना प्रभारी आर.के. दुबे को मुखबिर से सूचना मिली कि बस स्टैंड आमला में एक व्यक्ति हाथ में लोहे की छुरी लिए रहागीरों को धमका चमका रहा है जिस पर वह हमराह स्टाफ एवं रहागीर साक्षी के मौके पर पहुंचा जहां उसे अभियुक्त लोहे की धारदार छुरी लिए मिला जिसे उसने हमराह स्टाफ की मदद से घेराबंदी कर पकड़ा तथा मौके पर अभियुक्त से एक लोहे की छुरी जप्त कर जप्ती पत्रक एवं अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात थाने आकर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्र. 150/12 अंतर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की गयी। विवेचना पूर्ण होने पर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका कं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

“क्या अभियुक्त ने दिनांक 21.04.2012 को समय 10:40 बजे बस स्टैंड आमला लकी होटल के सामने सार्वजनिक स्थान पर बिना किसी मय अनुज्ञापत्र के अधिसूचना क्र. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 में विनिर्दिष्ट मापदंड से अधिक लंबाई चौड़ाई की धारदार लोहे की छुरी अपने ज्ञानयुक्त आधिपत्य में अवैध रूप से रखा ?”

॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

5 आर.के. दुबे (अ.सा.-1) ने यह प्रकट किया है कि दिनांक 21.04.2012 को थाना आमला में टी.आई. के पद पर पदस्थ रहते हुए मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर हमराह स्टाफ के साथ बस स्टैंड आमला पहुंचा जहां उसे अभियुक्त हाथ में लोहे की छुरी लिए मिला। अभियुक्त द्वारा छुरी रखने के संबंध में लायसेंस न होना बताये जाने पर उसने अभियुक्त से गवाहों के समक्ष एक लोहे की छुरी जप्त कर (प्रदर्श प्री-1) का जप्ती पत्रक तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श प्री-2) का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया था। इस साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने थाना वापस आकर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्र. 150/12 में प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श प्री-3) लेख की थी। साक्षी ने आर्टिकल ए को वही आयुध होना बताया है जो उसने अभियुक्त से जप्त किया था।

6 यादोराव (अ.सा.-2) ने अपने समक्ष अभियुक्त से पुलिस द्वारा जप्ती एवं उसकी गिरफ्तारी से इंकार किया है। साक्षी ने जप्ती पत्रक एवं गिरफ्तारी पत्रक पर उसके हस्ताक्षर होने से भी इनकार किया है। अभियोजन द्वारा उक्त साक्षी से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछने पर भी अभियोजन के पक्ष में कोई तथ्य उनके कथन से प्रकट नहीं हुए है।

7 प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी अंकुर के अदम पता होने से उसकी साक्ष्य अंकित नहीं की गयी है तथा एक स्वतंत्र साक्षी यादोराव (अ.सा.-2) ने जप्ती का समर्थन नहीं किया है। अभिलेख पर आर.के. दुबे (अ.सा.-1) की साक्ष्य उपलब्ध है।
न्याय दृष्टांत नाथू सिंह वि० स्टेट ऑफ एम०पी० ए.आई.आर.1973 एससी

2783 के अनुसार पंच साक्षीगण की पुष्टि के आभाव में भी जप्ती कर्ता की साक्ष्य विश्वास किये जाने योग्य हो तो उस पर विश्वास किया जा सकता है। अतः उक्त साक्षी की साक्ष्य से यह देखा जाना है कि अभियुक्त से जप्ती प्रमाणित होती है या नहीं।

8 आर.के. दुबे (अ.सा.-1) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि मुखबिर से सूचना मिलने पर वह हमराह स्टाफ के साथ मौके पर गया था। अभियुक्त से एक लोहे की छुरी जप्त कर उसे गिरफ्तार करने के उपरांत थाना वापस आया और प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि जब वह मौके पर पहुंचा था तब अभियुक्त के अलावा कोई भी नहीं था। साक्षी यादोराव और अंकुर मौके पर ही मिले थे। जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी-1) पर नमूना सील नहीं लगायी और न ही इस बात का उल्लेख है कि जप्तशुदा छुरी की नाप किससे की गयी थी। रोजनामचा सान्हा भी प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

9 जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी-1) एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श पी-2) में अपराध क्रमांक लेख है जिससे इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि उक्त प्रपत्र जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही उपरांत तैयार किये गये होंगे। जप्ती पत्रक में जप्ती का समय 10:40 बजे लेख है तथा गिरफ्तारी पत्रक में गिरफ्तारी के समय पर ओव्हर राईटिंग की गयी है। प्रकरण में रोजनामचा सान्हा भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही विवेचक साक्षी आर.के. दुबे (अ.सा.-1) के कथनों से यह भी प्रकट नहीं हो रहा है कि अभियुक्त से जो छुरी जप्त की गयी थी वह धारदार थी अथवा नहीं। साथ ही किस चीज से जप्तशुदा आयुध की नाप की गयी यह भी प्रकट नहीं हो रहा है और न ही इसका कोई स्पष्टीकरण साक्षी के कथनों से प्रकट हो रहा है। उपर्युक्त परिस्थितियों में अभियुक्त से कथित आयुध की जप्ती संदेहास्पद हो जाती है जिससे निश्चायक रूप से यह नहीं माना जा सकता कि प्रकरण में जप्तशुदा कथित आयुध वही है जो कि अभियुक्त से जप्त किया गया था।

10 उपरोक्त अनुसार की गई साक्ष्य विवेचना से यह दर्शित है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 21.04.2012 को समय 10:40 बजे बस स्टैंड आमला लकी होटल के सामने सार्वजनिक स्थान पर बिना किसी मय अनुज्ञापत्र के अधिसूचना क्र. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 में विनिर्दिष्ट मापदंड से अधिक लंबाई चौड़ाई की धारदार लोहे की छुरी अपने ज्ञानयुक्त आधिपत्य में अवैध रूप से रखा। अतः अभियुक्त जन्मजय को धारा 25(1-बी)बी आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

11 प्रकरण में जप्त सुदा लोहे की छुरी अपील अवधि पश्चात् अपील न होने पर विधिवत् नष्ट की जावे, अपील होने की दशा में जप्त सुदा सम्पत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।

12 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

13 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)